



सफाईवाला, माली, हलवाई, कूपन क्लर्क, काऊंटर क्लर्क, क्लर्क  
और सुरक्षा गार्ड (बिना हथियार) की बाहरी स्रोतों से सेवाएं लेने  
हेतु खुली संविदा  
भारतीय सर्वेक्षण विभाग  
(विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय)  
भारत सरकार

टेन्डर सं० 1745/ गार्ड फाईल दिनांक 06-05-2016

दिनांक 30-05-2016 (17:00 बजे) तक प्रस्तुत किया जाए

निदेशक,  
पंजाब, हरियाणा एवं चण्डीगढ़ भू-स्थानिक आंकड़ा केन्द्र ,  
भारतीय सर्वेक्षण विभाग,  
सर्वे कॉम्प्लैक्स, दक्षिण मार्ग, सेक्टर-32 ए,  
चण्डीगढ़- 160030.

भारतीय सर्वेक्षण विभाग  
(विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय)

निदेशक का कार्यालय,  
पंजाब, हरियाणा एवं चण्डीगढ़ भू-स्थानिक आंकड़ा केन्द्र ,  
भारतीय सर्वेक्षण विभाग,  
सर्वे कॉम्प्लैक्स, दक्षिण मार्ग, सेक्टर-32 ए,  
चण्डीगढ़- 160030.

**निविदा/टेंडर आमंत्रण सूचना**

भारत के राष्ट्रपति की ओर से निदेशक, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, पंजाब, हरियाणा एवं चण्डीगढ़ जी.डी.सी., चण्डीगढ़ दूरभाष संख्या 0172-2602607, ई-मेल : phc.gdc.soi@gov.in सफाईवाला, माली, हलवाई, कूपन क्लर्क, काउंटर क्लर्क, क्लर्क और सुरक्षा गार्ड (बिना हथियार) की बाहरी स्रोतों (Out Sourcing) द्वारा भारतीय सर्वेक्षण विभाग, सर्वे कॉम्प्लेक्स कार्यालय, सेक्टर- 32ए में सेवाएँ प्राप्त करने हेतु सेवा प्रदाता ऐजेंसियों/ फर्मोंसे सीलबन्द निविदाएं निम्नानुसार आमंत्रित की जाती हैं -

**1. टेंडर विवरण**

- (क) टेंडर आमंत्रित करने वाले प्राधिकारी का पद : निदेशक, पंजाब, हरियाणा व चण्डीगढ़ भू-स्थानिक आंकड़ा केन्द्र, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, चण्डीगढ़
- (ख) टेंडर संख्या : 1745/गार्ड फाईल दिनांक 06 /05/2016
- (ग) मुहरबंद/सीलबन्द टेंडर प्राप्त होने की तिथि : 30/05/2016 (17:00 बजे)  
एवं समय
- (घ) टेंडर खुलने की तिथि एवं समय : 31/05/2016 (11:30 बजे)
- (ङ) टेंडर कागजात भारतीय सर्वेक्षण विभाग वेब साईट [www.surveyofindia.gov.in](http://www.surveyofindia.gov.in) पर उपलब्ध है ।

**2. कार्यक्षेत्र:**

संविदा/ठेके की अवधि के दौरान उक्त सेवाएँ भारतीय सर्वेक्षण विभाग, सर्वे कॉम्प्लैक्स, सेक्टर 32-ए चण्डीगढ़ में उपलब्ध करवाई जानी हैं । विभिन्न फुटकर कामों के विवरण इस प्रकार से हैं:-

i) सफाई कर्मों को पंजाब, हरियाणा व चण्डीगढ़ भू-स्थानिक आंकड़ा केन्द्र/हिमाचल प्रदेश भू-स्थानिक आंकड़ा केन्द्र के कार्यालय भवन और कार्यालय परिसर व कार्यालय परिसर के बाहर वाले क्षेत्रों में सफाई करनी होगी, वे कार्यालय भवन के कमरों, कोरिडोर, वाशरूम(शौचालय) इत्यादि की साफ-सफाई करेंगे और छोटे व बड़े कूड़ादान/डस्टबिन का कचरा भी खाली करेंगे । उनका कार्य समय सभी कार्य-दिवसों में 9:00 बजे से 17:30 बजे समाप्त होगा और सप्ताहांत छुट्टी होगी । निदेशक पंजाब, हरियाणा व चण्डीगढ़ भू-स्थानिक आंकड़ा केन्द्र/हिमाचल प्रदेश भू-स्थानिक आंकड़ा केन्द्र को आवश्यकतानुसार उनके कार्य का समय बदलने के लिए और अन्य सफाई कार्य देने के लिए अधिकार संरक्षित रहेंगे ।

ii) माली को कार्यालय परिसर के अन्दर व इसके बाहरी क्षेत्र में बाग-बगीचों की साफ-सफाई, पौधों फूल व घास इत्यादि उगाने, पौधों व पेड़ों की छांट-छंटाई करने, समय-समय पर कीटनाशकों के छिड़काव और पौधों को पानी देने इत्यादि के कार्यों पर लगाया जाएगा । सभी कार्य-दिवसों में उनका कार्य समय 09:00 बजे से 17:30 बजे होगा और सप्ताहांत छुट्टी होगी । निदेशक पंजाब, हरियाणा व चण्डीगढ़ भू-स्थानिक आंकड़ा केन्द्र को आवश्यकतानुसार उनके कार्य का समय बदलने के लिए और अन्य सफाई कार्य देने के लिए अधिकार संरक्षित रहेंगे ।

iii) हलवाई पंजाब, हरियाणा व चण्डीगढ़ भू-स्थानिक आंकड़ा केन्द्र के अधीन, कार्य करेंगे और उन्हें कार्यालय कैंटीन में खाना बनाने, स्नैक्स (हल्का नाश्ता) चाय, कॉफी इत्यादि कार्यों के लिए लगाया जाएगा। सभी कार्य-दिवसों में उनका कार्य समय 9:00 बजे से 17:30 बजे होगा और सप्ताहांत छुट्टी होगी। आवश्यकतानुसार निदेशक पंजाब, हरियाणा व चण्डीगढ़ भू-स्थानिक आंकड़ा केन्द्र को उनके कार्य का समय बदलने और बावरची (Cooking) कार्य देने के लिए अधिकार संरक्षित रहेंगे।

iv) पंजाब, हरियाणा व चण्डीगढ़ भू-स्थानिक आंकड़ा केन्द्र के अधीन कैंटीन में कूपन क्लर्क कैंटीन में बिकने वाले विभिन्न खाद्य पदार्थों के कैंटीन कमेटी द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार कूपन बांटेंगे या बेचेंगे और उनका पूरा लेखा-जोखा रखने के लिए जिम्मेवार होंगे। सभी कार्य-दिवसों में उनका कार्य समय 9:00 बजे से 17:30 बजे होगा और सप्ताहांत छुट्टी होगी। आवश्यकतानुसार निदेशक पंजाब, हरियाणा व चण्डीगढ़ भू-स्थानिक आंकड़ा केन्द्र को उनके कार्य का समय बदलने और उनसे संबंधित अन्य कार्य देने के लिए अधिकार संरक्षित रहेंगे।

v) पंजाब, हरियाणा व चण्डीगढ़ भू-स्थानिक आंकड़ा केन्द्र के अधीन कैंटीन में काउंटर क्लर्क, काउंटर के सभी कार्यों के लिए जिम्मेवार होंगे जैसे कि कूपन प्राप्त कर चाय, स्नैक्स और भोजन इत्यादि बांटना। सभी कार्य-दिवसों में उनका कार्य समय 9:00 बजे से 17:30 बजे होगा और सप्ताहांत छुट्टी होगी। आवश्यकतानुसार निदेशक पंजाब, हरियाणा व चण्डीगढ़ भू-स्थानिक आंकड़ा केन्द्र को उनके कार्य का समय बदलने और उनसे संबंधित अन्य कार्य देने के लिए अधिकार संरक्षित रहेंगे।

vi) पंजाब, हरियाणा एवं चण्डीगढ़ भू-स्थानिक आंकड़ा केन्द्र में कार्यालय में क्लर्क हिन्दी, अंग्रेजी में टाईपिंग का कार्य करेगा और उसे पत्राचार, लेखा का ज्ञान होना चाहिए। सभी कार्य-दिवसों में उनका कार्य समय 9:00 बजे से 17:30 बजे होगा और सप्ताहांत छुट्टी होगी। आवश्यकतानुसार निदेशक पंजाब, हरियाणा व चण्डीगढ़ भू-स्थानिक आंकड़ा केन्द्र को उनके कार्य का समय बदलने और उनसे संबंधित अन्य कार्य देने के लिए अधिकार संरक्षित रहेंगे।

vii) सर्वे कॉम्पलैक्स, दक्षिण मार्ग, सेक्टर-32-ए कार्यालय में सुरक्षा व्यवस्था हेतु सुरक्षा गार्ड भर्ती किए जाएंगे। उन्हें सर्वेक्षण प्रशासन द्वारा निर्धारित दिन-रात की शिफ्टों में ड्यूटी देनी होगी। सुरक्षा गार्ड कार्यालय में अग्निशमन (Fire fighting) कार्यवाही में भी सहायता करेंगे।

### **3. करार अवधि और कार्मिकों की संख्या:**

i)	अपेक्षित सफाई कार्मिकों की संख्या	:	02 (दो) करार अवधि- 08 (आठ) महीने
ii)	अपेक्षित माली कार्मिकों की संख्या	:	02 (दो) करार अवधि- 08 (आठ) महीने
iii)	अपेक्षित हलवाई कार्मिकों की संख्या	:	01 (एक) करार अवधि- 08 (आठ) महीने
iv)	अपेक्षित कूपन क्लर्क कार्मिकों की संख्या	:	01 (एक) करार अवधि- 08 (आठ) महीने
v)	अपेक्षित काउंटर क्लर्क कार्मिकों की संख्या	:	01 (एक) करार अवधि- 08 (आठ) महीने
vi)	अपेक्षित क्लर्क कार्मिकों की संख्या	:	02 (दो) करार अवधि- 08 (आठ) महीने
vii)	अपेक्षित सुरक्षा गार्डों कार्मिकों की संख्या	:	10 (दस) करार अवधि- 08 (आठ) महीने

नोट: उपरोक्त सफाई कर्मचारी, माली, हलवाई, कूपन क्लर्क, काउंटर क्लर्क, क्लर्क और सुरक्षा गार्डों की संख्या और करार अवधि घटाई या बढ़ाई जा सकती है।

#### 4. निविदाकार की पात्रता

i) करार नियमों व शर्तों के सन्तोषजनक पालन हेतु सेवा-प्रदाता के चण्डीगढ़ में स्थानीय कार्यालय होने चाहिए ।

ii) निविदाकार के पास वैध कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) पंजीकरण, कर्मचारी राज्य बीमा (ESI) पंजीकरण, सेवा कर (Service Tax) पंजीकरण, आवश्यक आयकर खाता (TAN/PAN), वैट क्लीयरेंस सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट,, उक्त सेवाएं प्रदान करने हेतु उपायुक्त (श्रम आयुक्त) चण्डीगढ़ द्वारा जारी रजिस्ट्रेशन और प्राइवेट सुरक्षा गार्डों की भर्ती करने संबंधी वैध लाइसेंस अवश्य होना चाहिए ।

iii) फर्म का एजेंसी संचालन संबंधी अच्छा रिकार्ड, मानव संसाधन क्षमता और संबंधित अनुभव होने पर ही कोई निविदाकार उक्त निविदा हेतु पात्र आवेदक होंगे ।

iv) एक बोलीदाता को एक ही निविदा देने की अनुमति दी जाएगी ।

#### 5. निविदा प्रक्रिया:

दो सीलबन्द लिफाफों में 02 बोली प्रक्रिया के अनुसार निविदाकार अपनी निविदा प्रस्तुत करेंगे:-

(क) पहले सीलबन्द, लिफाफे पर "तकनीकी बोली" लिखा जाए और उसमें निम्नलिखित कागजात डाले जाए-

- i) प्रस्तुत कागजातों की जांच-सूची (अनुलग्नक- क)
- ii) अनुलग्नक ख के अनुसार पूरा भरा हुआ प्रोफार्मा
- iii) एजेन्सी प्रोफाइल जिसमें उनका सरकारी/अर्धसरकारी/स्वायत्त संस्थाओं को मानव संसाधन उपलब्ध करवाने संबंधी विस्तृत अनुभव का उल्लेख हो ।
- iv) अनुलग्नक-ग के अनुसार निविदा दरें स्वीकरण प्रपत्र।
- v) धरोहर राशि (ई.एम.डी.) जमा करने संबंधी डिमान्ड ड्राफ्ट
- vi) अन्य अपेक्षित कागजात

(ख) दूसरे सीलबन्द लिफाफे पर 'वित्तीय बोली' अंकित किया जाए और अनुलग्नक-घ' प्रोफार्मा पर केवल मासिक आधार पर (निविदा) दरें लिखी जाएं ।

(ग) उक्त दोनों सीलबन्द लिफाफे मुख्य सीलबन्द लिफाफे में डालकर उसपर 'बाहरी स्रोतों से सफाईवाला, माली, हलवाई, कूपन क्लर्क, काउंटर क्लर्क, क्लर्क और सुरक्षा गार्डों की सेवाएं देने संबंध निविदा (टेंडर) अंकित किया जाए । इसे अध्यक्ष, संयुक्त प्रबन्धन बोर्ड (सी.पी.बी.) पंजाब, हरियाणा व चण्डीगढ़ भू-स्थानिक आंकड़ा केन्द्र, सेक्टर 32-ए , चण्डीगढ़-160030 को सम्बोधित किया जाए और डाक द्वारा अथवा दस्ती दिनांक 30-05-2016 को 5:00 बजे (अपराह्न) तक टेंडर बाक्स में डालना सुनिश्चित किया जाए । उक्त टेंडर दिनांक 31-05-2016 को 11:30 बजे (पूर्वाह्न) बोली कर्ताओं अथवा उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में खोला जाएगा। यदि टेंडर प्रति वाले दिन अथवा टेंडर खोलने वाले दिन कार्यालय बन्द होता है तो निविदा अगले दिन प्राप्त की जाएगी और उसके अगले कार्यदिवस को निर्दिष्ट समय व स्थान पर खोली जाएगी।

## 6. निविदायों का मूल्यांकन

i) पहले अनुलग्नक 'क' के अनुसार जांच-सूची की जांच की जाएगी कि सभी कागजात पूर्णतः भरे गए हैं ऐसा न होने पर निविदा गैर-उत्तरदायी घोषित की जाएगी और अस्वीकृत की जा सकती है।

ii) पैरा 4 के अनुसार संबंधित एजेंसियों की पात्रता अहर्ता पाए जाने पर उनके द्वारा अपेक्षित सेवाएं देने की क्षमता को जांचने के लिए तकनीकी मूल्यांकन किया जाएगा।

iii) अनुलग्नक 'क' के अनुसार जांच सूची कागजात सही पाए जाने पर ही तकनीकी निविदा (अनुलग्नक 'ख') खोली जाएगी यदि तकनीकी निविदा के अनुसार अपेक्षित कागजात सही नहीं पाए जाते तो निविदा गैर-उत्तरदायी/जिम्मेवार घोषित कर अस्वीकृत कर दी जाएगी। मांगी गई निविदा के उपबन्धों और निर्देशों के अनुसार ही वित्तीय बोली लगाई जाए। इस मामले में किसी प्रकार का उल्लंघन/विचलन निविदा को गैर-जिम्मेवराना माना जाएगा और अस्वीकृत घोषित करार देगा।

iv) बोली दाता द्वारा प्रस्तुत निविदाओं पर दी गई सूचनाओं की जांच की जाएगी। इस संबंध में दी गई सूचना यदि गलत अथवा झूठी पाई जाती है तो निविदा गैर-जिम्मेवराना करार कर अस्वीकृत घोषित कर दी जाएगी।

v) संयुक्त प्रबन्धन बोर्ड (सी. पी. बी.) निविदाकारों को बिना किसी आगामी संदर्भ के उनके द्वारा दी गई बोली पर बोलीकर्ता की सूचना व सन्दर्भों का सत्यापन कर सकता है।

vi) संयुक्त प्रबन्धन बोर्ड (सी. पी. बी.) के पास विवेकाधिकार सुरक्षित रहेंगे कि वे प्राप्त निविदाओं में से किसे चयन करना ठीक समझते हैं अथवा मांग-पत्र/ठेका देने संबंधी अधिसूचना जारी करने संबंधी स्वीकृति देते हैं।

vii) संयुक्त प्रबन्धन बोर्ड (सी. पी. बी.) किसी भी निविदाकार से फैंक्स द्वारा लिखित स्पष्टीकरण प्राप्त कर सकते हैं। निविदाकार इस संबंध में सुनिश्चित अवधि के दौरान फैंक्स द्वारा तुरन्त उत्तर देंगे।

viii) निविदाओं की तुलना-बोली पर बताई राशि पर सभी करों सहित की जाएगी।

## 7. **धरोहर राशि जमा (Earnest Money Deposit)**

निविदाकार अपनी बोली के साथ धरोहर राशि जमा करेंगे। वे टेन्डर खुलने के 60 दिन तक वैध किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से 1,00,000/- (एक लाख रुपये मात्र) का बैंक ड्राफ्ट/बैंक-गारण्टी धरोहर राशि के रूप में जमा करेंगे। यह धरोहर राशि स्थापना एवं लेखा अधिकारी पंजाब, हरियाणा एवं चण्डीगढ़ भू-स्थानिक आंकड़ा केन्द्र के पक्ष में चण्डीगढ़ में देय होनी चाहिए। बिना धरोहर राशि के प्राप्त निविदाएं अस्वीकृत कर दी जाएगी। निविदा प्रक्रिया में असफल घोषित निविदाकारों को भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा निर्धारित प्रस्तुत करने की अवधि के पश्चात 30 दिनों के भीतर उनकी धरोहर राशि वापिस कर दी जाएगी। निविदा प्रक्रिया में सफल निविदाकर्ता को उनके द्वारा इस टेन्डर कागजात में निर्धारित शर्तों व नियमों के अनुसार संविदा करार पर हस्ताक्षर और उनसे परफार्मेंस निधिप्राप्त करने के उपरान्त उनकी धरोहर राशि लौटा दी जाएगी। बोली की जमानत राशि (BID SECURITY AMOUNT) पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

यदि सफल निविदाकर्ता परफार्मेस निधि अर्थात् बोली की जमानत राशि जमा नहीं करते तो उनके द्वारा दी गई धरोहर राशि बिना किसी संदर्भ के जब्त कर ली जाएगी ।

## 8. संविदाकर्ता के लिए निर्देश

i) संविदाकर्ता को टेन्डर के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करने हैं । सीलबन्द लिफाफे पर “बाहरी स्रोतों द्वारा सफाईवाला, माली, हलवाई, कूपन क्लर्क, काउंटर क्लर्क, क्लर्क और सुरक्षा गार्डों की सेवाएं उपलब्ध करवाने संबंधी टेन्डर” अंकित करें । लिफाफों पर ऐसा अंकन न होने पर उन्हें अस्वीकृत घोषित किया जा सकता है ।

ii) यह संविदाकर्ता की जिम्मेवारी है कि उनके द्वारा प्रस्तुत संविदायें बताए गए पते पर निर्धारित समय व तिथि तक अध्यक्ष संयुक्त प्रबन्धन बोर्ड के पास पहुंच जाए । यदि संविदा समय पर डाक द्वारा पहुंचाने के बावजूद भी समय पर नहीं प्राप्त होती या गलत पता लिखने के कारण गलत पते पर से अथवा अन्य कारणों से इस कार्यालय को विलम्ब से प्राप्त होती है तो अध्यक्ष संयुक्त प्रबन्धन बोर्ड इस पर विचार करने के लिए बाध्य नहीं होंगे ।

iii) सभी उक्त सेवाएं कार्यकुशल व्यक्तियों द्वारा की जाएगी । उक्त सेवा प्रदाता 18 वर्ष की आयु से कम नहीं होंगे और इस कार्यालय के कार्मिकों के कार्य में किसी प्रकार की दखलअंदाजी नहीं करेंगे । यदि सेवा प्रदाता द्वारा भर्ती हेतु दिया गया कार्मिक इस कार्यालय द्वारा अक्षम पाया जाता है तो वे इस कार्यालय की आवश्यकतानुसार अन्य कार्मिक उपलब्ध करवाएंगे ।

iv) अध्यक्ष संयुक्त प्रबन्धन बोर्ड पंजाब, हरियाणा एवं चण्डीगढ़ भू-स्थानिक आंकड़ा केन्द्र किसी भी संविदा के सुनिश्चित समय व दिनांक तक न पहुंचने के कारण जैसे कि डाक द्वारा विलम्ब या निविदा न प्राप्त होने की स्थितियों में किसी भी प्रकार से जिम्मेवार नहीं होंगे ।

v) निविदा दरें प्रति व्यक्ति मासिक आधार पर दी जाएं । प्रस्तावित दरें टेन्डर खुलने के 120 दिनों तक वैध मानी जाएंगी । उक्त वैध अवधि के कम होने पर संविदा अस्वीकृत की जा सकती है । संविदा की प्रस्तावित दरें 08 (आठ) महीने तक स्थायी और अन्तिम हों और करार अवधि के समाप्त होने के 3 महीने तक लागू होंगी । करार अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के सांविधिक कारणों से संविदा दरों में परिवर्तन का वहन संबंधित एजेंसी करेगी मगर न्यूनतम वेतन में परिवर्तन भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा देय होगा । अतः संविदाकर्ताओं से अनुरोध है कि वे उसी के मद्देनजर भारतीय सर्वेक्षण विभाग को अपनी दरें बताएं

vi) वितीय निविदा प्रस्तुत करते समय सांविधिक प्रभार जैसे कि नियोक्ता द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) और कर्मचारी राज्य बीमा (ESI) और सेवा कर इत्यादि का अंशदान जो भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा न्यूनतम दरों के अतिरिक्त देय होंगे का भी स्पष्ट उल्लेख करें । फिर भी संविदाकर्ता सेवा/रख-रखाव प्रभार (अतिरिक्त बंधे खर्च, निरीक्षण प्रभार, बोनस ग्रेच्युटी, वर्दियां, ट्रेनिंग फीस इत्यादि) के संबंध में अनुलग्नक 'ग' पर स्पष्ट शर्तों में उल्लेख करें । अतार्किक तौर पर अत्यन्त कम उल्लिखित सेवा-प्रभार दरों वाली बोली पर विचार नहीं किया जाएगा और उसे अस्वीकृत कर दिया जाएगा ।

vii) सफाईवाला, माली, हलवाई, कूपन क्लर्क, काउंटर क्लर्क, क्लर्क और सुरक्षा गार्डों कार्मिकों को अन्य स्रोतों द्वारा उपलब्ध करवाने वाली एजेंसी उनके मासिक कर्मचारी भविष्य निधि और कर्मचारी राज्य बीमा

(नियोजक व कार्मिक दोनों अंशदानों को) सेवा कर इत्यादि सहित संबंधित कार्यालयों में जमा करवाने के लिए जिम्मेवार होगी। इस संबंध में प्रत्येक कार्मिक के संबंध में नामांकन संख्या सहित की गई कटौती व संबंधित कार्यालय में जमा की गई राशि के ब्यौरे इस कार्यालय की लेखा शाखा में अगले माह का बिल प्रस्तुत करते समय उसके साथ प्रस्तुत करने होंगे। इस संबंध में किसी भी प्रकार से भारतीय सर्वेक्षण विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

viii) प्रस्तावित दरें निश्चित और अन्तिम होनी चाहिए और सभी करों इत्यादि सहित हों जैसे कि सेवा कर, कर्मचारी भविष्य निधि अंशदान, नियोक्ता अंशदान, कर्मचारी राज्य बीमा नियोक्ता अंशदान (EPF/ESIC) इत्यादि। सभी श्रेणी की मानव संसाधन/सेवाओं की दरें प्रति व्यक्ति मासिक आधार पर-सप्ताहांत छुट्टी सहित बताई जाएं। इस संबंध में चयन बोर्ड प्रति व्यक्ति की मासिक रूपसे दर से कुल राशि के आधार पर संविदा स्वीकृत करेंगे।

ix) पूर्ण टेन्डर प्रस्ताव: बोली कर्ताओं से यह अपेक्षा की जाती है कि वे टेन्डर कागजात के सभी निर्देशों, फार्मों के नियम व शर्तों का अच्छे से अवलोकन व पालन करें। टेन्डर कागजातों पर अधूरी सूचना उन्हें अस्वीकृत करार कर सकती है। टेन्डर कागजात साफ-सुथरे भरे जाएं और किसी भूल सुधार किए कॉलम को टेन्डर हस्ताक्षरकर्ता प्राधिकृत करेंगे। वित्तीय बोली पर सफेद फ्ल्यूड/इरेजएक्स इत्यादि के इस्तेमाल की अनुमति नहीं है।

x) भारतीय सर्वेक्षण विभाग के कार्मिक अथवा उनके नजदीकी रिश्तेदार इस निविदा प्रस्ताव में भाग नहीं ले सकते।

xi) तैनात कार्मिकों का पुलिस सत्यापन संविदाकर्ता को करवाना होगा और भारतीय सर्वेक्षण विभाग की सूचना/रिकार्ड के लिए पुलिस सत्यापन रिपोर्ट कार्यालय में देनी होगी।

xii) ठेकेदार द्वारा तैनात सफाईवाला, माली, हलवाई, कूपन क्लर्क, काउंटर क्लर्क, क्लर्क और सुरक्षा गार्डों कार्मियों की श्रम कानून अथवा अन्य लागू कानूनों के अनुसार नियमित स्वास्थ्य जांच करवाई जाएगी।

xiii) ठेकेदार सुनिश्चित करेंगे कि सफाईवाला, माली, हलवाई, कूपन क्लर्क, काउंटर क्लर्क, क्लर्क और सुरक्षा गार्डों कार्मिक अपनी ड्यूटी के दौरान साफ-सुथरी वर्दी पहने जिसके लिए भारतीय सर्वेक्षण विभाग की ओर से कोई अतिरिक्त अदायगी नहीं की जाएगी।

xiv) सफल बोलीकर्ता 5/-रूपये के गैर न्यायिक सटैम्प पेपर पर निम्नलिखित शपथ-पत्र नोटरी पब्लिक/प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित करवा कर प्रस्तुत करेंगे और वह टेन्डर करार का हिस्सा होगा:-

हम मैसर्स .....का, मैं रजिस्टर्ड कार्यालय है। सफाईवाला, माली, हलवाई, कूपन क्लर्क, काउंटर क्लर्क, क्लर्क और सुरक्षा गार्डों की भर्ती का ठेका जो हमें दिया गया है, के संबंध में EPF, ESI, EDLI और सेवा-कर इत्यादि संबंधित कार्यालयों में नियमित तौर पर जमा करेंगे और हम मैसर्स .....का .....में रजिस्टर्ड कार्यालय है सफाईवाला, माली, हलवाई, कूपन क्लर्क, काउंटर क्लर्क, क्लर्क और सुरक्षा गार्ड कर्मियों के श्रम कानून अथवा अन्य स्थानीय लागू कानूनों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेवार होंगे।

इसके अतिरिक्त हम मैसर्स .....(सफाईवाला, माली, हलवाई, कूपन क्लर्क, काउंटर क्लर्क क्लर्क और सुरक्षा गार्ड) कार्मिकों के नियोक्ता एवं कर्मचारी EPF, ESI, EDLI अंशदान और सेवाकर इत्यादि देय तिथियों तक संबंधित कार्यालयों में जमा कर चालान की सत्यापित प्रतियां अगले बिल के साथ प्रस्तुत कर देंगे (प्रत्येक कार्मिक

के संबंध में स्पष्ट इन्दराज सहित जिसकी ड्यूटी हेतु तैनाती की गई है) सभी सांविधिक देयता सहित मासिक मजदूरी बिल तभी जारी किया जाएगा जब यह सुनिश्चित कर लिया जाएगा कि संबंधित कार्मिकों के संबंध में पिछले महीने की सभी सांविधिक देय राशियां समुचित प्राधिकारियों को चालान द्वारा जमा कर दी गई हैं।

यदि ठेकेदार समुचित चालान प्रतियां प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग को अधिकार होगा कि उक्त राशि बिलों से काट कर संबंधित प्राधिकृत कार्यालयों में जमा कर दी जाए। यदि इस संबंध में देरी से भुगतान के कारण संबंधित कार्यालय द्वारा कोई जुर्माना लगाया जाता है तो इसकी देनदारी ठेकेदार की होगी। इस तरह की भुगतान राशि के प्रमाण ठेकेदार को दे दिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त ESI कार्पोरेशन की स्थायी आवश्यकतानुसार उन्हें प्रस्तुत करने हेतु सफाईवाला, माली, हलवाई, कूपन क्लर्क, काउंटर क्लर्क, क्लर्क और सुरक्षा गार्ड सभी कार्मिकों के ESI कार्ड, ESI कोड सहित की प्रतियां भारतीय सर्वेक्षण विभाग को जमा कराई जाएंगी। इस तरह सभी कार्मिकों के संबंध में EPF Code भी इस कार्यालय को देना होगा।

xv) संविदाकर्ता अनुबंध को पूर्णरूपेण अथवा उसके किसी हिस्से को अन्य को नहीं देगी।

xvi) यदि ठेकेदार द्वारा प्रदत्त सेवाएं इस विभाग द्वारा निर्धारित मानकों के आंशिक अथवा पूर्ण रूप से सही नहीं पाई जाती अथवा ठेके के नियमों व शर्तों का उल्लंघन किया जाता है तो अध्यक्ष CPB के दायित्व व खर्च पर अन्य स्रोतों से सेवाएं प्राप्त कर सकेंगे।

xvii) भारतीय सर्वेक्षण विभाग ठेकेदार के आन्तरिक/अन्दरूनी मामलों में किसी प्रकार से भी संबंधित नहीं होगा जैसे कि तृतीय पार्टी से कोई विवाद/लड़ाई-झगडा और कम्पनी विलयन संबंधी परिस्थितियों में।

(क) भारतीय सर्वेक्षण विभाग के पास यह अधिकारी सुरक्षित रहेंगे कि यदि ठेका करार के अनुसार कम्पनी द्वारा कार्मिक उपलब्ध नहीं करवाए जाते हैं या लगातार सेवा-शर्तों में कमियां पाई जाती हैं तो अध्यक्ष संयुक्त खरीद बोर्ड कम्पनी पर जुर्माना लगा सकते हैं अथवा ठेका रद्द भी कर सकते हैं।

(ख) यदि उपरोक्त परिस्थितियों (क) में कम्पनी पर 5 बार से अधिक जुर्माना लगाया जाता है तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग उनका ठेका रद्द करके उनकी धरोहर राशी जब्त कर सकता है और 3 वर्ष के लिए कम्पनी को पुनः टेण्डर में भाग लेने के लिए ब्लैक लिस्ट कर सकता है।

xviii) ठेकेदार भारतीय सर्वेक्षण विभाग परिसर में अपने लगाए गए कार्मिकों के संबंध में मूल मजदूरी, सांविधिक देयता, संविदा सेवा प्रभार इत्यादि सहित समेकित मजदूरी बिल निम्नलिखित कागजातों के साथ कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे:-

(क) संबंधित कार्मिकों की भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरीत उपस्थिति रिपोर्ट।

(ख) संबंधित कार्मिकों के पिछले महीने के अगले महीने की 03 तारीख तक कर्मचारी भविष्य निधि EPF व कर्मचारी राज्य बीमा (ESI) की मासिक किस्त/अंशदान (नियोक्त व कर्मचारी दोनों का अंशदान), सेवा कर इत्यादि संबंधित कार्यालयों में जमा करने संबंधी समर्थन में अपेक्षित कागजात निदेशक, पंजाब, हरियाणा एवं चण्डीगढ जी डी सी तथा निदेशक, हिमाचल प्रदेश जी डी सी को प्रस्तुत करेंगे।



xix) ठेकेदार ठेके पर लगाए गए कार्मिकों को कार्यालय की लेखा-शाखा के साथ विचार-विमर्श कर वार्षिक EPF विवरणियां तैयार करके भी जारी करेंगे। ठेकेदार पूरी तरह से श्रम विभाग/ EPF/ ESI संस्थानों के नियमानुसार ठेके पर लगाए गए कार्मिकों संबंधी रिटर्नों को समय पर न भेजने या ना प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेवार होंगे।

xx) ठेकेदार स्वयं निर्धारित समय तक कार्यालय में बिल प्रस्तुत करने और ठेके पर लगाए कार्मिक को समय पर मजदूरी भुगतान के लिए जिम्मेवार होंगे।

xxi) ठेका अवधी समाप्त होने पर ठेका एजेन्सी द्वारा उपलब्ध कराए गए कार्मिक अपने आप कार्यमुक्त माने जाएंगे। तथापि ठेका एजेन्सी सरकारी नियमानुसार उनके सभी वैध भुगतान करेगी। इस संबंध में किसी प्रकार के वाद-विवाद जैसे कि किसी कार्मिक की सेवाएँ इत्यादि समाप्त करने की परिस्थितियों में या उन्हें देय भुगतान न करने की परिस्थितियों में ठेका कम्पनी की जिम्मेवारी होगी कि वह सभी भुगतान मामले स्वयं निपटाएगी। ठेकेदार अपने द्वारा लगाए गए कार्मिकों के संबंध में प्राधिकृत अधिकारियों/न्यायालय इत्यादि द्वारा दिए गए आदेशों के पूर्ण अनुपालन के लिए जिम्मेवार होंगे।

xxii) उक्त करार के संबंध में कोई नोटिस अथवा अनुमति इत्यादि ठेकेदार के मालिक अथवा पार्टनर को सम्बोधित की जाएगी और स्पीड-पोस्ट द्वारा भेजी जाएगी इसी प्रकार ठेकेदार भारतीय सर्वेक्षण विभाग, अध्यक्ष प्रबंधन बोर्ड को सम्बोधित करते हुए स्पीड-पोस्ट द्वारा भेजेंगे।

xxiii) यदि पाया जाता है कि ठेकेदार द्वारा ठेके पर लगाए कार्मिकों को कोई वेतन मजदूरी, भत्ता अथवा विधिक भुगतान की अदायगी बाकी है अथवा उनके कार्मिकों द्वारा इस कार्यालय की सम्पत्ति को किसी प्रकार का नुकसान पहुँचा है तो उक्त भुगतान की भरपाई ठेकेदार की धरोहर राशी से काट ली जाएगी और इस कार्यालय को यह भी प्राधिकार रहेगा कि यदि इसके बावजूद भी कोई भुगतान बकाया बचता है तो उसे अन्य तरीकों से वसूल किया जाएगा और बिना नोटिस दिए करार रद्द करने का अधिकार भी संरक्षित रहेगा।

xxiv) इस कार्यालय की आवश्यकतानुसार या अत्यावश्यक होने पर सेवा प्रदाता कम्पनी न्यूनावधि अथवा थोड़े समय के लिए भी अपेक्षित कार्मिक उपलब्ध कराएगी।

xxv) यदि ठेके पर लगाए गए किसी कार्मिक की व्यक्तिगत कारणों से छोड़ने की संभावना/परिस्थितियां बनती हैं तो ठेकेदार उस कार्मिक के बदले में दूसरा कार्मिक तुरन्त उपलब्ध करवाएंगे। इस संबंध में किसी प्रकार के अतिरिक्त (ओवरलैपिंग) अवधी के भुगतान की जिम्मेवारी सेवा-प्रदाता की होगी।

xxvi) सेवा प्रदाता कम्पनी हर समय संवाद/सम्प्रेषण के लिए मौजूद रहेगी इस कार्यालय द्वारा फोन/ई-मेल/फैक्स/विशेष प्रेषण वाहक इत्यादि द्वारा भेजे सन्देशों की प्राप्ति सूचना उसी दिन देगी। संविदा करार की पूर्ति हेतु इस विभाग द्वारा दिए गए समय-समय पर निर्देशों का पूर्ण पालन करेगी।

xxvii) सेवा प्रदाता कम्पनी सुनिश्चित करेगी कि उनके द्वारा लगाए गए कार्मिक अपनी ड्यूटी के दौरान कार्यालय की किसी भी वस्तु, सामान अथवा उपकरण इत्यादि को किसी प्रकार का नुकसान न पहुंचाएं। इस संबंध में किसी भी प्रकार की ह्युयी क्षति के लिए सेवा प्रदाता कम्पनी जिम्मेदार होगी। यदि इस संबंध में इस कार्यालय को ठेकेदार के कर्मियों की लापरवाही, गलती अथवा चोरी इत्यादि के कारण किसी प्रकार का नुकसान/क्षति पहुँचती है तो सेवा प्रदाता कम्पनी उस नुकसान/क्षति की भरपाई करेगी। इस संबंध में सेवा प्रदाता एजेन्सी इस कार्यालय के किसी भी नुकसान अथवा क्षति के

क्षतिपूर्ण हेतु उत्तरदायी रहेगी। एजेन्सी द्वारा लगाए गए कार्मिकों की यदि उनकी ड्यूटी के दौरान कोई दुर्घटना अथवा परिवार के बाहर मृत्यु दुर्घटना अथवा किसी भी प्रकार की चोट इत्यादि होने की स्थिति में किसी भी प्रकार की हर्जाना राशी के लिए यह कार्यालय जिम्मेवार नहीं होगा। उक्त भरपाई की जिम्मेवारी एजेन्सी की होगी। उक्त सभी परिस्थितियों में सेवा प्रदाता कम्पनी ही उत्तरदायी होगी।

xxviii) सेवा प्रदाता कम्पनी अपने द्वारा उपलब्ध कराए गए कार्मिकों को फोटो पहचान-पत्र जारी करेगी। उक्त पहचान-पत्र का वह हमेशा प्रदर्शन करेगा और गुम होने पर उसकी सूचना तुरन्त कम्पनी को देगा।

xxix) सेवा प्रदाता कम्पनी सुनिश्चित करेगी कि उनके द्वारा उपलब्ध करवाए गए कार्मिक कार्यालय परिसर में नशीले पेय शराब, पान, धूम्रपान इत्यादि का प्रयोग न करें और व्यर्थ में इधर-उधर न घूमें।

### **संविदा की अन्य शर्तें व नियम**

#### **(क) कार्य निष्पादन सुरक्षा जमानत / परफोर्मेंस निधि:-**

संविदा प्रक्रिया में सफल फर्म को अनुबंध से पूर्व पूरी ठेका राशी की 10% राशी परफोर्मेंस निधि के रूप अनुबंध खत्म होने के 60 दिन के पश्चात तक के लिए स्थापना व लेखा अधिकारी, पंजाब, हरियाणा एवं चण्डीगढ़ जीडीसी के पक्ष में एकाउंट पेयी डिमाण्ड ड्राफ्ट अथवा बैंक गारन्टी के रूप में सरकारी हित में जमा करनी होगी। यदि सेवा प्रदाता की ओर से अनुबंध पत्र के इकरारनामे के अनुसार भारतीय सर्वेक्षण विभाग को किसी प्रकार की हानि/जुर्माना/परिनिर्धारित नुकसान (Liquidated damages) होता है तो उनके द्वारा जमा की गई परफोर्मेंस निधि हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति मुआवजे के रूप में अग्रसर हो जाएगी।

यदि इस कार्यालय द्वारा किसी फर्म/एजेन्सी को यह ठेका दे दिया जाता है परन्तु उक्त फर्म/एजेन्सी अपनी स्वीकार्य दरों पर निर्धारित तिथि और समय पर इस कार्यालय को सफाईवाला, माली, हलवाई, कूपन क्लर्क, काउंटर क्लर्क, क्लर्क और सुरक्षा गार्डों की सेवाएं उपलब्ध नहीं करवाती तो उनको दिया गया ठेका रद्द कर दिया जाएगा और उनके द्वारा जमा परफोर्मेंस निधि जब्त कर ली जाएगी।

#### **(ख) कार्मिकों द्वारा सद्व्यवहार:-**

i) अनुबंधित एजेन्सी प्रशिक्षित सफाईवाला, माली, हलवाई, कूपन क्लर्क, काउंटर क्लर्क, क्लर्क और सुरक्षा गार्ड कार्मिक इस कार्यालय को उपलब्ध करवाएगी और उन सभी के संबंध में प्रमाण-पत्र देगी कि उनके द्वारा उपलब्ध करवाए गए सफाईवाला, माली, हलवाई, कूपन क्लर्क, काउंटर क्लर्क, क्लर्क और सुरक्षा गार्ड कार्मिक प्रशिक्षित हैं और उन्हें पूर्व में सेवा के दौरान अपराधिक दोषारोपण, चोरी अथवा अविश्वसनीयता आधारों पर नौकरी से नहीं हटाया गया।

ii) सेवा प्रदाता ठेकेदार सुनिश्चित करेंगे कि उनके द्वारा उपलब्ध कराये गए सफाईवाला, माली, हलवाई, कूपन क्लर्क, काउंटर क्लर्क, क्लर्क और सुरक्षा गार्ड कार्मिकों का व्यवहार अच्छा हो। उन कार्मिकों के किसी भी प्रकार के कदाचार अथवा दुर्व्यवहार के लिए ठेकेदार उत्तरदायी होंगे। यदि उनके द्वारा उपलब्ध करवाए गए किसी भी कार्मिक के विरुद्ध इस संबंध में कोई शिकायत पाई जाती है तो ठेकेदार तुरन्त उस कार्मिक के बदले में अन्य कार्मिक को इस कार्यालय में उपलब्ध करवाएंगे।

iii) सेवा प्रदाता ठेकेदार कार्यालय में यह शपथ-पत्र भी देंगे कि उनके द्वारा ठेके पर उपलब्ध करवाए गए सफाईवाला, माली, हलवाई, कूपन क्लर्क, काउंटर क्लर्क, क्लर्क और सुरक्षा गार्ड कार्मिक भविष्य में इस कार्यालय में

नियमित सरकारी रोजगार की माँग नहीं करेंगे । यदि भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा अनुबंधित ठेकेदार की सेवाएं असन्तोषजनक पाई जाती हैं तो ठेकेदार को एक महीने की पूर्व सूचना देकर ठेका रद्द किया जा सकता है ।

**(ग) ठेकेदार स्टाफ के छुट्टी पर जाने की परिस्थितियों में:-**

अनुबंधित ठेकेदार, करार के अनुसार उनके प्रतिदिन सभी कार्मिक ड्यूटी के लिए हाजिर रहेंगे और किसी कार्मिक के छुट्टी पर जाने की अवस्था में उसके बदले में ठेकेदार अन्य कार्मिक उपलब्ध करवाएंगे ।

**(घ) भुगतान अदायगी शर्तें -**

लागू नियमों/अधिनियमों के अनुसार आयकर अथवा अन्य करों की कटौति करने के उपरान्त सेवा प्रदाता कम्पनी को उनके द्वारा तैनात कार्मिकों को वेतन देने के लिए करार दरों के अनुसार मासिक आधार पर राशि भुगतान किया जाएगा ।

2) ठेकेदार, सफाईवाला, माली, हलवाई, कूपन क्लर्क, काउंटर क्लर्क, क्लर्क और सुरक्षा गार्ड को उनका वेतन हर महीने की 07 तारीख तक उनके बैंक खाते में आर टी जी (RTGS) द्वारा जमा करके उसकी सूचना प्रति इस कार्यालय में देंगे ।

3) इस कार्यालय द्वारा सफाईवाला, माली, हलवाई, कूपन क्लर्क, काउंटर क्लर्क, क्लर्क और सुरक्षा गार्ड को किसी प्रकार का सीधा भुगतान नहीं किया जाएगा और उनकी खंडित/न्यूनवधि सेवाओं का भुगतान यथानुपात (Pro rate basis) आधार पर किया जाएगा । यदि इस कार्यालय द्वारा प्रशासनिक और वित्तीय कारणों से ठेकेदार को किसी माह की अदायगी में थोड़ी देरी हो जाती है तो वे किसी प्रकार की आर्थिक क्षतिपूर्ति की मांग नहीं करेंगे ।

**ठेकेदार द्वारा तैनात कार्मिकों को मुआवजा/क्षतिपूर्ति**

यह स्पष्टतः समझा जाएगा कि ठेकेदार द्वारा ठेके पर इस कार्यालय में तैनात सफाईवाला, माली, हलवाई, कूपन क्लर्क, काउंटर क्लर्क, क्लर्क और सुरक्षा गार्ड सभी परिस्थितियों/प्रयोजनों में ठेका एजेन्सी के कर्मिक माने जाएंगे ।

भारतीय सर्वेक्षण विभाग के साथ उन कर्मिकों का कोई नियोक्ता व कर्मचारी अथवा मालिक व नौकर का संबंध नहीं होगा सिवाए इसके कि उन्हें सभी भारतीय सर्वेक्षण विभाग में प्राधिकृत/नियन्त्रण अधिकारियों के आदेशों का पालन करना होगा ।

भारतीय सर्वेक्षण विभाग ठेकेदार के द्वारा लगाए गये कार्मिकों के संबंध में किसी भी प्रकार की कार्यवाही प्रत्यक्ष अथवा कोई दावा, क्षति, क्षतिपूर्ति मुआवजा इत्यादि के संबंधमें यदि कोई विधिसम्मत प्राधिकृत आदेश पारित हो जाते हैं जैसे कि ठेका कार्मिकों की यदि उनकी ड्यूटी के दौरान कोई दुर्घटना अथवा परिसर के बाहर मृत्यु दुर्घटना अथवा किसी भी प्रकार की चोट इत्यादि होने की स्थिति में यह कार्यालय किसी भी प्रकार की कार्यवाही के लिए जिम्मेवार नहीं होगा । ठेकेदार इस प्रकार के दावों/क्षति को भारतीय सर्वेक्षण विभाग को क्षतिपूर्ति से विमुक्त रखेंगे ।

(च) ठेकेदार को किसी भी वकील/अधिवक्ता के द्वारा प्रतिनिधित्व करने की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

(छ) सांविधिक कानूनों के उपबन्धों का अनुपालन

i) ठेकेदार स्वीकृत ठेका निष्पादन हेतु केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार अथवा संघ शासित प्रदेश चण्डीगढ़ अथवा स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा जारी सभी कानूनों, नियम विनियमों और निर्देशों का पूर्ण पालन करेंगे। इन कानूनों, नियम-विनियमों और निर्देशों का उल्लंघन संविदा-भंग समझा जाएगा। यदि भारतीय सर्वेक्षण विभाग को इस संबंध में किसी अन्य प्रकार का अथवा आर्थिक नुकसान होता है तो इसकी भरपाई की जिम्मेवारी ठेकेदार की होगी।

ii) यदि ठेकेदार के कोई कार्मिक किसी भी प्रकार के झगड़े में संलग्न हो जाते हैं तो इसके निपटान की जिम्मेवारी ठेकेदार की होगी। यदि भारतीय सर्वेक्षण विभाग को इस प्रकार के किसी मामले में पार्टी/पक्षकार बनाया जाता है जिससे मामले में वाद विवाद (Contest the case) करने हेतु बकील की फीस व अन्य खर्च पड़ते हैं तो ठेकेदार को इन खर्चों के संबंध में भारतीय सर्वेक्षण विभाग की मांग पर अग्रिम अदायगी करनी होगी। इस संबंध में ठेकेदार सुनिश्चित करेंगे कि ठेकेदार के कार्मिकों द्वारा इस तरह के कृत कार्यों के लिए भारतीय सर्वेक्षण विभाग पर किसी प्रकार का वित्तीय अथवा विधिक उत्तरदायित्व न हो। इस संबंध में क्षतिपूर्ति की जिम्मेवारी ठेकेदार की होगी।

#### **(ज) श्रम विनियमों (अधिनियमों) का अनुपालन**

ठेकेदार स्वीकृत ठेके के अनुसार वर्तमान और भविष्य में केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार अथवा संघ शासित प्रदेश चण्डीगढ़ अथवा स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा अथवा अन्य श्रम कानूनों (नियमों सहित) और उनके अधीन जारी विनियमों, उपविधि नियमों के संबंध में जारी आदेशों और अधिसूचनाओं का पूर्ण पालन करेंगे।

यदि प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा किसी अधिनियम के नियमों के अधीन विनियमों अथवा कोई अधिसूचना जारी होने पर अथवा इस संबंध में कोई संशोधन होने पर नियोक्ता पर कोई कार्यवाही की जाती है तो ठेकेदार इसकी क्षतिपूर्ति करेंगे जैसे कि यदि इस संबंध में ठेकेदार इसकी क्षतिपूर्ति करेंगे जैसे यदि इस संबंध में ठेकेदार द्वारा किसी अधिसूचना के उपबन्धों पर/उपविधि/अधिनियम/नियम/विनियमों इनमें किसी प्रकार का संशोधन होने पर उसके अनुपालन ना करने पर नियोक्ता पर किसी भुगतान करने का उत्तरदायित्व पड़ता है।

i) सफल ठेकेदार को इस शर्तों व नियमों पर इस कार्यालय की आवश्यकतानुसार उपयुक्त और योग्य कार्मिक उपलब्ध करवाने के लिए 100/- रुपये के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर इस कार्यालय के साथ करार करना होगा। उक्त करार निष्पादन हेतु गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर का प्रबंध ठेकेदार स्वयं करेंगे। यह करार ठेकेदार द्वारा इस कार्यालय को कार्मिक उपलब्ध करवाने के 08 महीने तक वैध होगा और उसके 03 महीने पश्चात तक भी वैध होगा अथवा इसके पहले उसे लिखित में रद्द किया जाएगा। एजेन्सी द्वारा प्रस्तुत निवेदित दरें, सेवा प्रभार 08 महीने के लिए तय किए जाएंगे और ठेका अवधि के समाप्त होने से पूर्व किसी भी प्रकार के परिवर्तन/संशोधन हेतु कोई प्रार्थना स्वीकार नहीं की जाएगी। किसी प्रकार की सांविधिक मजदूरी/दैनिक भत्ते में बढ़ोतरी भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा वहन की जाएगी।

सफल निविदाकार को सफाईवाला कार्मिक के संबंध में इस टेंडर कागजात में दी शर्तों और नियमों के अनुसार निदेशक, पंजाब, हरियाणा एवं चण्डीगढ़ भू-स्थानिक आंकड़ा केन्द्र और निदेशक, हिमाचल प्रदेश भू-स्थानिक आंकड़ा केन्द्र के साथ एक और करार निष्पादित करना होगा।

सफल निविदाकार को माली, हलवाई, कूपन क्लर्क, काऊटर क्लर्क, क्लर्क और सुरक्षा गार्ड (सिविलियन बिना हथियार) कार्मिक सेवाएं प्रदान करने के लिए इस टेंडर कागजात में दी शर्तों और नियमों के अनुसार निदेशक, पंजाब, हरियाणा एवं चण्डीगढ़ भू-स्थानिक आंकड़ा केन्द्र के साथ एक और करार निष्पादित करना होगा।

10. निम्नलिखित संभाव्य स्थितियों में निविदा / ठेका रद्द किया जा सकता है

i) करार अवधि समाप्त होने पर

अथवा

ii) ठेकेदार द्वारा प्रदत्त सेवाएं सन्तोषजनक न पाए जाने के फलस्वरूप सेवा अवधि में किसी भी समय नोटिस दे कर ।

अथवा

iii) ठेकेदार द्वारा करार के अनुसार किन्हीं भी निर्देशों/शर्तों व नियमों का उल्लंघन करने पर ।

अथवा

iv) ठेकेदार द्वारा करार के अनुसार ठेके को पूरा अथवा आंशिक तौर पर किसी तृतीय पार्टी/व्यक्ति को देने पर या इस संबंध में किसी अन्य को कोई लाभ देने पर ।

अथवा

v) प्राधिकृत न्यायलय द्वारा ठेकेदार दिवालिया घोषित करने पर

उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों में ठेका रद्द करने के नोटिस अवधि के दौरान ठेकेदार पहले की तरह अपनी सेवाएं इस कार्यालय का प्रदान करते रहेंगे जब तक उनकी नोटिस अवधि समाप्त नहीं जो जाती । इस संबंध में ठेकेदार का कर्तव्य होगा कि वह ठेका समाप्त होने पर (चाहे जो भी आधार हो ) अपने सभी कार्मिक हटा लें और सुनिश्चित करें कि कोई भी व्यक्ति भारतीय सर्वेक्षण विभाग में किसी प्रकार का कोई व्यवधान /समस्या न करें ।

11. अधोहस्ताक्षरी के पास बिना कारण बताए किसी भी अथवा सभी निविदायों को अस्वीकृत करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा ।

12. इस टेंडर के संबंध में यदि कोई झगड़ा अथवा मतभेद की परिस्थितियां पैदा होती है (इस ठेका करार में बताई परिस्थितियों में प्रदत्त निर्णयों के अतिरिक्त) तो प्रथमतः निदेशक, पंजाब, हरियाणा एवं चण्डीगढ़ भू- स्थानिक आंकड़ा केन्द्र इसे सुलझाएंगे । झगड़ा ना सुलझने की परिस्थितियों में मामला भारत के महासर्वेक्षक, देहरादून को अथवा उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को मध्यस्थता हेतु पेश किया जाएगा । उक्त मध्यस्थता निर्णय दोनों पक्षों के लिए मान्य एवं अन्तिम होगा ।

*Rohini*

( आर० एम० घिल्डियाल )

निदेशक

अध्यक्ष

संयुक्त प्रबन्धन बोर्ड

**निविदा के साथ लगाने वाले कागजातों / दस्तावेजों की जांच-सूची (Check List)**

क्रम सं०	निविदा के साथ जमा किए जाने वाले दस्तावेज	साथ लगाए गए दस्तावेज(हां)	नहीं लगाए गए दस्तावेज ( नहीं)	टिप्पणी
1	फर्म के पंजीकरण संबंधी प्रतिलिपि			
2	कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि			
3	कर्मचारी राज्य बीमा (ESI) पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि			
4	मानव संसाधन सेवा प्रदाता (सुरक्षा कर्मियों सहित) फर्म चलाने के लिए प्राप्त लाईसेंस			
5	पिछले 02 वर्षों की आयकर रिटर्न की प्रतिलिपि			
6	सेवा कर पंजीकरण की प्रतिलिपि			
7	PAN/TAN (पैन/टैन) कार्ड की प्रतिलिपि			
8	प्रतिष्ठित ग्राहकों की सूची व उनके साथ किए गए कार्यों और अवधि संबंधी विवरण			
9	अनुभव संबंधी प्रमाण पत्र			
10	चार्टरित लेखाकार (Chartered Account) द्वारा पिछले 02 वर्ष की लेखा परीक्षण विवरणी			
11	रुपये 1,00,000/- धरोहर राशि जमा करने संबंधी बैंक ड्राफ्ट			

संविदा (ठेका) एजेन्सी के सील (मोहर) सहित हस्ताक्षर

संविदाकार का पूरा नाम व पता और दिनांक

**तकनीकी बोली (संविदा) का प्रोफार्मा**

क्रम सं०	विवरण	संविदाकार (ठेकेदार) द्वारा भरा जाए
1	एजेन्सी का नाम	
2	एजेन्सी स्थापना की तिथि	
3	एजेन्सी का विस्तृत पता, कार्यालय टेलीफोन नम्बर, फैक्स नम्बर, मोबाइल नम्बर और संविदाकार का नाम	
4	क्या सभी संबंधित प्राधिकृत सरकारों से पंजीकृत हैं और लाइसेंस प्राप्त हैं संविदा श्रमिक (विनियम और उन्मूलन) अधिनियम 1970 के अधीन पंजीकरण सहित) ( सभी पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रतियां संलग्न करें)	
5	PAN/TAN (पैन/टैन) कार्ड संख्या की (प्रतिलिपि संलग्न करें)	
6	श्रमिक लाइसेंस संख्या (प्रतिलिपि संलग्न करें)	
7	सेवा कर पंजीकरण संख्या (प्रतिलिपि संलग्न करें)	
8	कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) पंजीकरण संख्या (प्रतिलिपि संलग्न करें)	
9	कर्मचारी राज्य बीमा (ESI) पंजीकरण संख्या (प्रतिलिपि संलग्न करें)	
10	क्या फर्म/एजेन्सी को किसी सरकारी विभाग द्वारा ब्लैक लिस्ट किया गया है अथवा फर्म अथवा इसके मालिक/दण्डनीय मामला भारत में पंजीकृत है (यदि नहीं तो इस संबंध में एक प्रमाण पत्र संलग्न करें)	
11	संबंधित क्षेत्रा में काम करने संबंधी अनुभव की अवधि	
12	सरकारी विभागों में काम करने का अनुभव (जिन विभागों में काम किया है उनके नाम और कितने वर्षों तक काम किया है, इस संबंध में उन विभागों के साथ किए गए काम के संविदा आदेशों की प्रतियां संलग्न करें)	
13	क्या संविदा करार की शर्तें व नियम स्वीकार करने संबंधी शपथ-पत्र यथावत हस्ताक्षरित किया है, इस स्वीकृति की पुष्टि में इसे संलग्न करें ।	
14	क्या एजेन्सी का प्रोपफाइल (संक्षिप्त विवरण) संलग्न किया है	
15	अन्य ग्राहकों की सूची	
16	संविदा कम्पनी/फर्म/एजेन्सी की पिछले 02 वित्तीय वर्षों की वित्तीय व्यवसाय संबंधी विवरणी (लेखा परीक्षा को/चार्टरित Auditors/CA लेखाकार द्वारा प्रमाणित बैलेंस शीट की प्रतिलिपि	
17	क्या संविदा एजेन्सी को श्रम आयुक्त अथवा किसी अन्य सरकारी संस्था द्वारा कभी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है (यदि हां तो उस सम्प्रेषण की प्रतिलिपि संलग्न करें)	

**संविदा प्रस्ताव प्रस्तुतिकरण/कोटेशन**

सेवा में,

अध्यक्ष, संयुक्त प्रबन्धन बोर्ड  
पंजाब, हरियाणा एवं चण्डीगढ़ भू-स्थानिक आंकड़ा केन्द्र  
भारतीय सर्वेक्षण विभाग, सर्वे कॉम्प्लैक्स  
दक्षिण मार्ग, सैक्टर-32-ए, चण्डीगढ़

टेन्डर कागजात और इसके अनुलग्नकों के अवलोकन व जांच-पड़ताल के उपरान्त हम उक्त टेन्डर कागजात की शर्तों व नियमों के अनुसार सफाईवाला, माली, हलवाई, कूपन क्लर्क, काउन्टर क्लर्क, क्लर्क और सुरक्षा गार्ड (सिविलियन/बिना हथियार) कार्मिकों की सेवाएं ठेके पर देने का प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं।

हम वचन देते हैं कि यदि हमारा संविदा प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है तो संविदा करार हस्ताक्षर करने के 07 दिन के अन्दर हम अपेक्षित सेवा कार्मिकों को आपके कार्यालय में तैनात कर देंगे।

यदि हमारा संविदा प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है तो हम प्रस्तावित संविदा दर की 10 मूल्य राशि की बैंक गारन्टी ठेका निष्पादन हेतु जमा कर देंगे।

हम एतद द्वारा यह भी स्वीकार करते हैं कि हमारा यह संविदा प्रस्ताव 120 दिन के लिए मान्य होगा। इस अवधि के समाप्त होने के पूर्व इसे कभी भी आपके कार्यालय द्वारा स्वीकृत किया जा सकता है।

हमें यह मालूम है कि आपका कार्यालय किसी भी निविदाकार की न्यूनतम दरें अथवा अन्य प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है।

दिनांक            दिन            2016

हस्ताक्षर.....

(.....)

के लिए/की ओर से संविदा प्रस्ताव हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत



**वित्तीय संविदा प्रोफार्मा**

मनव संसाधन सेवाओं का विवरण						प्रति कार्मिक समेकित दरें (रूपय में)
ठेका आधार पर	न्यूनतम मजदूरी (1)	कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) प्रभार / EDLI प्रभार @13.36% (2)	ESIC प्रभार @4.75% (3)	सेवा कर * (4)	कुल सेवा कर @15 % (1 से 4)	
सपफाईवाला (मुख्य आयुक्त दरें) (केन्द्रीय)	8820.00					
कूपन क्लर्क (श्रम आयुक्त) जिला आयुक्त दरें	16380.00					
काउन्टर क्लर्क (आयुक्त) जिला आयुक्त दरें	16380.00					
क्लर्क (श्रम आयुक्त) जिला आयुक्त दरें	16380.00					
हलवाई (श्रम आयुक्त) जिला आयुक्त दरें	11932.00					
माली (श्रम आयुक्त) जिला आयुक्त दरें	9703.00					
सुरक्षा गार्ड (सिविलियन बिना हथियार) (श्रम आयुक्त) जिला आयुक्त दरें	9990.00					
<b>कुल जोड़</b>	<b>89585.00</b>					

नोट: \* टेन्डर के पैरा 8(v) (vi) और (viii) में दी शर्तों और नियमों के अनुसार न्यूनतम मजदूरी पर सेवा प्रभार की निवेदित दर 02 डैसिमल तक प्रतिशत में बताई जाएं ।

.....के लिए दरें

अंको में दरें.....रूपये

शब्दों में दरें.....रूपये

संविदाकार / ठेकेदार के हस्ताक्षर

डाकपता .....

स्थान.....दिनांक

## संविदा करार

(100/- रुपये मूल्य के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर करार निष्पादन किया जाएगा)

यह करार एक पक्षकार के रूप में ..... (जिसे इसमें आगे “ सेवा प्रदान अथवा ठेकेदार (संविदाकार)” कहा गया है और दूसरे पक्षकार के रूप में निदेशक, पंजाब, हरियाणा एवं चण्डीगढ़ भू-स्थानिक आंकड़ा केन्द्र (जिन्हे इसमें आगे “सरकार” कहा गया है) के बीच आज ..... तारीख.....को किया गया है ।

सेवा प्रदाता ने अध्यक्ष, संयुक्त प्रबन्धन बोर्ड को सपफाईवाला, माली, हलवाई, कूपन क्लर्क, काउन्टर क्लर्क, क्लर्क और सुरक्षा गार्ड (सिविलियन/बिना हथियार) की सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए निर्धारित फार्म पर संविदा दरें प्रस्तुत की हैं और यह संविदा दरें/टेन्डर स्वीकार कर लिया गया है और ठेकेदार ने करार की शर्तों व नियमों के अनुसार संविदा निष्पादन धरोहर राशि ..... (.....रूपये मात्र) सरकार को जमा कर दी है ।

### **अब एतद द्वारा दो पक्षकारों के बीच यह करार किया जाता है:-**

- 1) टेन्डर नोटिस सं0..... के अनुसार ठेकेदार ने टेन्डर कागजात में दी गई शर्तों और नियमों के अनुसार टेन्डर करार स्वीकार कर लिया है जो इस करार की अवधि के दौरान दोनों पक्षों को मान्य होगा ।
- 2) टेन्डर कागजात में उल्लिखित शर्तों का ठेकेदार द्वारा उल्लंघन करने पर सरकार उसे लिखित नोटिस जारी कर सकती है और इस करार को समाप्त कर सकती है और सरकार को बिना किसी प्रतिकूल प्रभाव का अधिकार रखते हुए सेवा प्रदाता द्वारा सेवा शर्तों के उल्लंघन से हुए नुकसान की भरपाई करवा सकती है, जिसे सरकार लिखित प्रमाण में देगी और यह प्रमाण-पत्र सरकार को हुई क्षति के लिए ठेकेदार द्वारा क्षतिपूर्ति करने हेतु मान्य होगा ।
- 3) सेवा प्रदाता ने करार के अनुपालन और कार्य निष्पादन अनुसार..... रुपये सरकार को सेवा निष्पादन धरोहर राशि के रूप में जमा करवा दिए हैं यदि ठेकेदार करार हस्ताक्षर करते हैं तो करार अवधि समाप्त होने के उपरान्त ठेकेदार को करार तिथि से 11 महीने के उपरान्त निष्पादन धरोहर राशि बिना किसी ब्याज के वापिस लौटा दी जाएगी और करार शर्तों और नियमों के अनुसार यदि सेवा-प्रदाता द्वारा सरकार को कोई अदायगी बाकी होगी तो वह राशि की कटौती कर ली जाएगी ।
- 4) यह करार 08 महीने के लिए वैध है और करार अवधि समाप्त होने के 03 महीने तक लागू माना जाएगा ।
- 5) इस टेन्डर और स्वीकृति फार्मों में निर्दिष्ट तथ्यों के होते हुए भी सरकार प्रस्तावित सभी अथवा आंशिक मानव संसाधन तैनात करने के लिए बाध्य नहीं होगी और सेवा प्रदाता फर्म को बिना किसी क्षतिपूर्ति के किसी भी समय एक महीने का लिखित नोटिस देकर करार रद्द कर सकती है ।
- 6) टेन्डर कागजात की शर्तों व नियमों के अनुसार सरकार द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि पर विचार करते हुए सेवा प्रदाता एजेन्सी सरकार को सपफाईवाला, माली, हलवाई, कूपन क्लर्क, काउन्टर क्लर्क, क्लर्क और सुरक्षा गार्ड कार्मिक उपलब्ध करवाने हेतु अपनी सहमति देती है और करार की शर्तों व नियमों के अनुसार तैनात कार्मिकों के संबंध में सरकार द्वारा पाई गई कमियों को दूर करने की सहमति प्रदान करती है ।

- 7) इसके साक्ष्य स्वरूप सेवा प्रदाता..... और निदेशक, पंजाब, हरियाणा और चण्डीगढ़ भू-स्थानिक आंकड़ा केन्द्र/ हिमाचल प्रदेश भू-स्थानिक आंकड़ा केन्द्र अथवा सरकार की ओर से उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि .....ने उपरोक्त दिनांक व वर्ष को इस पर अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

ठेकेदार/संविदाकार

भारतीय सर्वेक्षण विभाग

गवाह

और

साक्षी..... साक्षी.....

स्थान: चण्डीगढ़



**निष्पादन धरोहर राशि फार्म**

सेवा में,

स्थापना एवं लेखा अधिकारी  
पंजाब, हरियाणा और चण्डीगढ़ भू-स्थानिक आंकडा केन्द्र  
भारतीय सर्वेक्षण विभाग, सर्वे कॉम्प्लैक्स  
दक्षिण मार्ग, सैक्टर 32-ए, चण्डीगढ़

.....सेवा प्रदाता का नाम (जिसे इसमें आगे सेवा प्रदाता एजेन्सी कहा गया है न संविदा सं०..... दिनांक..... लेने का वचन दिया है कि वे.....सेवाओं का वर्णन) की आपूर्ति करेंगे जिसे इसमें आगे करार कहा गया है। सरकार द्वारा उक्त संविदा शर्तों में कहा गया है कि सेवा प्रदाता एजेन्सी कार्य निष्पादन के अनुपालन के संबंध में करार के अनुसार राष्ट्रीयकृत बैंक धरोहर राशि के रूप में निर्दिष्ट राशि बैंक गारंटी के तौर पर जमा करेगी।

और हम सेवाप्रदाता एजेन्सी को गारन्टी देने के लिए सहमत हैं:

अतः हम स्वीकार करते हैं कि हम गारंटीकर्ता हैं और सेवा प्रदाता की ओर से .....रु..... (रूपये.....मात्र) की सीमा तक की राशि सरकार को देने की जिम्मेवारी लेते हैं। हम सरकार द्वारा सेवा प्रदाता को करार की नियमों व शर्तों के अनुसार दोषी घोषित करने पर बिना किसी प्रमाण अथवा कारण की मांग करते हुए सरकार द्वारा लिखित मांग पर बिना किसी छिद्रान्वेषण अथवा वाद-विवाद के .....राशि/राशि सीमा तक भुगतान करने के लिए वचनबद्ध होंगे।

यह गारन्टी.....(तिथि) तक वैध है।

गारन्टीकर्ता की सील (मोहर) व हस्ताक्षर

दिनांक .....

पूरा पता.....